प्रेषिका,

आरती फौजदार (I.D. No.UP6225),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौसी,
सम्भल स्थित चन्दौसी।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी।

विषयः—शासनादेश सं0—14/2024/सा—3—243/दस—2024(1) 2024, दिनांक—28 जून, 2024सपठितशासनादेश संख्या—20/2024/सा—3—276/दस—2024/301(1)/2024 दिनांक—11जुलाई, 2024 के अनुक्रम में माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत पत्रांक 9691/IV-F-82(Pension)Admin-IV (1) दिनांकित 16.07.2024 के अनुपालन में पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुने जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विषयांकित शासनादेश के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ है, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या—सा—3—379/दस—2005/301 (9)—2003 दिनांकित 28.03.2025 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छारित किये जाने की व्यवस्था व विकल्प प्रदान किया गया है। उपरोक्त विषयक सन्दर्भ में अति सम्मानपूर्वक निवेदन निम्नवत् हैः—

1. यह कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रारम्भिक परीक्षा, 2003 के विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या—ए—2/ई—1/2003, दिनांकित 15.11.2003 जो दिनांक 22—28 नवम्बर,2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित हुआ, द्वारा आवेदन आमंत्रित किये गये।

2. यह कि उपरोक्त विज्ञापन के आधार पर उक्त पद पर अंतिम चयन होने के उपरान्त प्रार्थिनी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति, उत्तर प्रदेशन शासन, नियुक्ति अनुभाग —4 की विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या—2430/दो—4—06—32 (1) 2001 टीसी—1 लखनऊ दिनांक 26.05.2006 के माध्यम से हुई है।

3. यह कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिसूचना संख्या—1091/DR(S)/2006 दिनांकित 13.06.2006 के अनुपालन में प्रार्थिनी ने दिनांक 19.06.2006 को जनपद न्यायालय गाजियाबाद में अपर सिविल जज (जू0डि0) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

4. यह कि उत्तर प्रदेश शासन के विषयांकित शासनादेश संख्या—14/20242सा—3—243/दस—2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुक्रम में प्रार्थिनी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने योग्य एवं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर **पुरानी पेंशन योजना** का विकल्प चुनने की पात्र है।

5. यह कि प्रार्थिनी द्वारा शासनादेश संख्या—20/2024/सा—3—276/दस—2024 (1)/2024 दिनांक 11 जुलाई,2024 के साथ संलग्न प्रारूप के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना गया है तथा विहित प्रारूप पर पुरानी पेंशन

योजना चुने जाने का विकल्प एवं घोषणा पत्र विभागाध्यक्ष की सहमति / संस्तुति के साथ पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र के साथ सादर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः विनम्र अनुरोध है कि प्रार्थिनी को **पुरानी पेंशन योजना** में शामिल किये जाने हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र मय विकल्प एवं घोषण पत्र सहानुभूतिपूर्वक विचारणार्थ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

विशेष आभार के साथ।

दिनांक 21.08.2024

भवदीया,

Arti Fauzdar

(आरती फौजदार),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौसी,
सम्भल स्थित चन्दौसी।
(I.D. No.UP6225)

संलग्नकः—शासनादेश संख्या—20 / 2024 / सा—3—276 / दस—2024 / 301(1) / 2024 दिनांक 11 जुलाई,2024 के साथ संलग्न प्रारूप पर पुरानी पेंशन 2024 के साथ संलग्न प्रारूप पर पुरानी पेंशन योजना चुने जाने का विकल्प व घोषणा पत्र।

<u>कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल स्थित चन्दौसी।</u>

पत्रांक संख्या— 1458/2024/प्रशा0 अनु0 जजशिप, सम्भल स्थित चन्दौसी दिनांक— 23.8.2024

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चन्दौसी।

23.8

District Judge
Sambhal at
Chandausi

शासनादेश संख्या– 20/2024/सा–3–276/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक–

विकल्प पत्र

1. नाम– आरती फौजदार,
2. वर्तमान पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी,
3. वेतनमान **J5-144840- 194660** रूपये
4. वर्तमान विभाग का नाम न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम– न्याय विभाग (द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद)
6. विज्ञप्ति की तिथि 15 नवम्बर 2003 (विज्ञापन सं०–ए–2/ई–1/2003)
   (विज्ञापित रोजगार समाचार पत्र 22–28 नवम्बर 2003)
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि–26 मई 2006 (उत्तर प्रदेश शासन नियुक्ति अनुभाग–4)
8. योगदान की तिथि– 19 जून 2006,
9. जन्म तिथि– 01–07–1969
10. सेवानिवृत्ति की तिथि– 30.06.2029

मैं आरती फौजदार पत्नि श्री चन्द्रबोस काजला, शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत **पुरानी पेंशन योजना (✔)**/नवीन पेंशन योजना (✖) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर Arti Fauzdar

नाम– आरती फौजदार, (I.D.No-UP6225)
पदनाम– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौसी,
सम्भल स्थित चन्दौसी।

घोषणा पत्र

मैं, आरती फौजदार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या–01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर Arti Fauzdar

नाम– आरती फौजदार, (I.D.No-UP6225)
पदनाम– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौसी,
सम्भल स्थित चन्दौसी।

सम्बन्धित कर्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री आरती फौजदार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौसी, सम्भल स्थित चन्दौसी को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **पुरानी पेंशन योजना (✔)** नई पेंशन योजना (✖) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति

District Judge
Sambhal at
Chandausi